सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करणसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील माल प्रकरण सं0 13/15

देवीलाल पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी सांवतसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

– अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पदमपुर

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 18.02.2015 नायब तहसीलदार, (राजस्व), बींझबायला

उपस्थित : 1. श्री एम. एल. माहर अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0

आदेश **दिनांक :19–06–15**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के सक्षम प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि हलका पटवारी द्वारा दिनांक 01.01.2015 को अवैध रबी 2071 की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी रोज प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को तलब किया गया और दिनांक 16.01.2015 को बिना अपीलार्थी को सूचना दिये फसल कुर्क करने के आदेश जारी कर दिये। विवादित रकबा आराजीराज है, जिसके नियमितिकरण का कार्य उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष जैरकार है। जब तक उच्चतर न्यायालय का निर्णय नही हो जाता तब कि अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई एव साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलाधीन आदेश पांरित करने से पूर्व कानूनी प्रक्रिया का पालन नही किया गया है और न ही काश्तशुदा फसल उठाने का मौका दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् हैं। हस्तक्षेप की गुंजाईश नही है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट देवीलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2015 को जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि की खातेदारी बाबत वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में पेश कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई जांच नही की गई है। अतः प्रकरण में जांच की आवश्यकता होने से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्बन्धित सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण में गहन जॉच कर, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.07.2015 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 19–06–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।
19/6/15